

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
38/18	212 R.A	पाली	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
शुभ. समलवा आई	बनाम	अमरसिंह	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

57/18

वकील श्री. अ. अ. द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 R.A के विरुद्ध न्यायालय के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जर्ज सम्मन 31/1/19 को पेश हो। तलब कर प्रकरण दिनांक 31/1/18 को पेश हो।

(Handwritten signature)

31/18

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30/01/2019 को पेश हो।

(Handwritten signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

30/19

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/1/2019 को पेश हो।

(Handwritten signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

25/2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थना के मुंशी द्वारा प्रार्थना पत्र कायम मुआमलत प्रतिवादी तब। की मृत्यु हो जाने की सूचना देकर पेश किया। अतिमात्रक जमाने की कडोलेख एवं श्री भान P.O साहब राज कार्य से बाहर प्यारे है आशंका पत्रावली दिनांक 26/3/09 को पेश हो।

28/19

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16/01/2019 को पेश हो।

(Handwritten signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश**

8.1.25 पत्रावली पेश हुई। न्युलगाप करीको उपा/ जवाब प्र. पत्र 022 Rul 4 पेश नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं। पत्रावली वाले जवाब प्र. पत्र दिनांक 24.2.25 को पेश हो।

24.2.25 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7-4-25 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ (बारा)

7-4-25 पत्रावली पेश हुई। न्युलगाप करीको उपा/ जवाब प्र. पत्र 022 Rul 4 एवं धारा 157 CPC पेश नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं। पत्रावली वाले जवाब प्र. पत्र दिनांक 27-5-25 को पेश हो।

27.5.25 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्य. प्र. व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 1.7.25 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ (बारा)

1-7-25 पत्रावली पेश हुई। न्युलगाप करीको उपा/ नकील जर्नी उकरण को आगे भेजा गया नहीं पा रहे हैं। अलत प्रक्स कला पा रहे हैं। जर्नी का जर्पना पत्र धारा 212 RTA अलत प्रक्स किया गया है। पत्रावली फिलहाल सुकल होकर नया तामील तकनील है दाखिल इफ्तल को

No objection